राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 3337/SEIAA/2022
Date: 16/3/22

प्रति,

श्रीमती सोनम जायसवाल पति श्री धमेन्द्र जायसवाल,
निवासी ग्राम बगवानिया,
तहसील धरमपुरी जिला धार (म.प्र.)

विषयः–प्रकरण कमांक 8832/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सोनम जायसवाल पति श्री धमेन्द्र जायसवाल, निवासी ग्राम बगवानिया, तहसील धरमपुरी जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 37500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 46/1 पैकी रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम भूडाल, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 709 वी बैठक दिनांक 07.03.2022 को चर्चा कर यह अभिलिखित किया गया ......

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 549वी बैठक दिनांक 15.02.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान के समीप मानव बसाहट होना परिलक्षित हुआ है।

उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय सवेदनशीलता के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन हेतु आपको सूचित किया जाता है **SEIAA** कि आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी